

सं: 1:05:138:II:सीएस
दिनांक: 7 फरवरी, 2020

National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E) <u>MUMBAI - 400 051.</u> नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पू, मुंबई-400 051	Bombay Stock Exchange Limited, Department of Corporate Services, Floor - 25, PJ Towers, Dalal Street, <u>MUMBAI - 400 001.</u> बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001
---	---

विषय: सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसरण में सूचना

महोदया/महोदय,

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसरण में, सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के निदेशक मंडल बुधवार, फरवरी 12, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य मुद्दों के साथ-साथ संसाधनों के जुटाव अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बॉण्डों के इश्यू, बैंक/ वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण, वाणिज्यिक पत्र आदि के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित बाजार ऋण कार्यक्रम हेतु सीमाओं में संशोधन के लिए प्रस्ताव पर विचार करेगी।

उक्त बैठक में निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वास्तव में निधियां समय-समय पर जुटाई जाएंगी।

आपकी जानकारी एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com